न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवानी बउनवानी कमला वगै. बनाम शिवराज पुत्र रामसिंह मीना नि. गंगापुर सिटी वगै.

किस्म प्रकरण— मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 39/2022

जीसीएमएस संख्या 2022/242

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	[illegible]
17.01.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि श्रीमान के न्यायालय मे मुन्तकिली प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण का दिनांक 25.11.2022 को निर्णय पारित किया जा चुका है। इसलिए सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1974 के पृष्ठ संख्या 50 के अनुसार उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.11.2022 को खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि उपजिला कलक्टर गंगापुर सिटी में प्रार्थीगणों के नाम से जरिये मुख्त्यारखास रमेशचन्द बैरवा पुत्र रामसहाय बैरवा निवासी श्रीमा तहसील लालसोट द्वारा एक दावा प्रस्तुत किया गया था जिसकी प्रार्थीगणों को कोई जानकारी नही थी। उक्त दावा प्रार्थीगणों के नाम से गलत तरीके से पेश किया गया है जिसकी जानकारी प्रार्थीगणों को होने के उपरान्त प्रार्थीगणो द्वारा दिनांक 18.11.2022 को उक्त मुख्त्यारखास निरस्त करवाया जाकर प्रार्थीगणो द्वारा उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय मे जैरकार वाद संख्या 122/2022 को दिनांक 25.11.2022 को विड्रा कर लिया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय मे दावा प्रार्थीगणों के नाम से उनकी जानकारी के बिना जरिये मुख्त्यारखास प्रस्तुत गया था जिसको स्वंय प्रार्थीगण/वादीगणो द्वारा वापस ले लिया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश प्रार्थीगण की स्वंय की सहमति से पारित किया गया है तथा उक्त आदेश से प्रार्थीगण का कोई नुकसान नही हुआ है इसलिए सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1974 के पृष्ठ संख्या 50 इस प्रकरण मे चस्पा नही होते है। यह तर्क भी दिया कि इस मुन्तकिली प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे जैरकार नही होने के कारण प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र Infectious हो चुका है। इसलिए मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी के कथन [illegible]मत है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र Infec[illegible] हो जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.12.19 11:30:08 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with CamScanner